रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 1973/भाद्र 6, 1895

No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 1973/BHADRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th August 1973

No. DRAWBACK/PN-25/73.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Tables published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 3640 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-Sl. No.	Description	Rate of drawback
3641	Ball/Roller Bearings	Rs 475·00 (Rupees four hundred and seventy five only) per tonne

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public notice.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1973

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-25/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ० (के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 3640 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रम सं० तथा प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी । अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का वितरण	प्रतिअदायगी की दर
3641	बाल/रोलर बियरिंग्स	475.00 रुपये (केवल चार सौ पचहत्तर रुपये) प्रति टन ।

उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए नियत की गयी सभी ब्राण्ड दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होते ही वापस ले ली गयीं समझी जायेंगी ।

CORRIGENDA

No. DRAWBACK/PN-26/73.—In the Public Notice No. 57 published in Part I, Section (1) of the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 15th June, 1972, the Central Government hereby makes the following corrections in the table published therein:—

Under the heading description against clause (iv) of the sub-serial No. 5002, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Radiator Assemblies and Cores for Motor Vehicles including tractors, excluding oil coolers and Air Cooled Radiators, namely—"

शुद्धि पत्र

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-26/73.—भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 15 जून, 1972 के भाग I खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 57 में प्रकाशित सारणी में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शुद्धियां करती हैं :—

उप-क्रम सं० 5002 के खण्ड (iv) के सम्मुख 'विवरण' शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"तेल शीतक और वायु कूलित विकीरकों को छोड़कर मोटर गाड़ियों, जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल है, के लिए विकीरक संयोजन तथा कोर, अर्थात्:—

No. DRAWBACK/PN-27/73.—In the Public Notice No. 22 published in the Part I, Section (i) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 1st June, 1973, the Central Government hereby makes the following further corrections in the table published therein:—

Under the heading description against clause (iv) of the sub-serial No. 5002, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Radiator Assemblies and Cores for Motor Vehicles including tractors, excluding oil coolers and Air Cooled Radiators, namely—"

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback).

सं० प्रतिग्रहायगी/पी०एन० 27/73.—भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 1 जून, 1973 के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 22 में प्रकाशित सारणी में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित और शुद्धियां करती है :—

उप-क्रम सं० 5002 के खण्ड (iv) के सम्मुख 'विवरण' शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित् किया जायगा । यथा —

"तेल शीतक और वायु कूलित विकीरकों को छोड़कर मोटरगाड़ियों जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हैं, के लिए विकीरक संयोजन एवं कौर, अर्थात्:—"

सी० भुजंगस्वामी,
संयक्त निदेशक, (प्रतिग्रदायगी)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978